न्यायालय तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

मु0 न0	दायर दिनांक	धारा एक्ट	निर्णय दिनांक
19/20	21.09.20	91 [illegible] एक्ट	22.12.2020

सरकार बनाम लालू पुत्र तुलछा जाति–जाट, निवासी–नारसरा तहसील फतेहपुर

22.12.2020 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बांठोद ने सम्वत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि मौजा ग्राम नारसरा के राजकीय भूमि खा0न0 73 रकबा 02.03 है0 किस्म चारागाह में से 0.20 है0 एवं खा0न0 68 रकबा 4.17 है0 किस्म चारागाह में से 0.20 है0 कुल रकबा 0.40 है0 पर लालू पुत्र तुलछा जाति–जाट, निवासी–नारसरा तहसील फतेहपुर ने बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का बाठोंद के आधार पर प्रकरण राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायल को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वास्ते जवाबदेही की गई । गैरसायल ने जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया । अतः गैर सायल के विरूद्व दिनांक 23.10.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । गैर सायल के विरूद्व पटवारी हल्का बांठोद की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22.12.2020 को बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का बांठोद एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है । अतः गैर सायल को राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा गैर सायल लालू पुत्र तुलछा जाति–जाट, निवासी–नारसरा तहसील फतेहपुर के राजकीय भूमि खा0न0 73 रकबा 02.03 है0 किस्म चारागाह में से 0.20 है0 एवं खा0न0 68 रकबा 4.17 है0 किस्म चारागाह में से 0.20 है0 कुल रकबा 0.40 है0 भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है । भू0अ0नि0 फतेहपुर को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।

गैर सायत द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 2.00 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 100/– रूपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते है । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावे ।

पत्रावली बैराय दुरस्त होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार

रा.ले. 4 के पृष्ठ
सं. 28 पर राशि
[illegible] दर्ज
17/3/21